मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-5/99/3/1

भोपाल, दिनांक 8-4-1999

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

विषय :—राज्य शासन द्वारा दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-45/97/एक (1), दिनांक 22-2-1999.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत किसी शासकीय सेवक को राज्य शासन द्वारा दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध अपील महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है. मध्यप्रदेश शासन के ''कार्य नियमों'' के प्रावधान के अनुसार उक्त अपील पर अंतिम आदेश ''मंत्रि परिषद्'' द्वारा पारित किये जाते हैं.

2 सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22-2-99 द्वारा ''कार्य नियम'' में संशोधन कर दिया गया है. उक्त संशोधन से उपर्युक्त प्रकरणों में अब निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

1. किसी शासकीय सेवक को ''भार-साधक मंत्री'' के अनुमोदन के बाद राज्य शासन द्वारा दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण समन्वय में (माननीय मुख्यमंत्री जी) प्रस्तुत किये जाएंगे.

2. यदि संबंधित शासकीय सेवक को दण्डावेश ''समन्वय'' में अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा दिया जाता है तो ऐसे दण्डादेश के विरुद्ध महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत अपील पर अंतिम ''निर्णय परिषद्'' द्वारा लिया जायेगा.

3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा ''पेंशन'' नियम 1976 के नियम-9 के अधीन ''पेंशन'' को रोकने/वापस लेने या कम करने के प्रकरण पर अंतिम आदेश ''मंत्रि-परिषद्'' द्वारा ही पारित किये जायेगें.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.